रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 1999/आश्विन 5, 1921
No. 79] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 1999/ASVINA 5, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1999

सं. एमएफ/सीएचपीटी/55/97-टीएएमपी.—चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) द्वारा 20 टन से अधिक भार वाले पैकेजों पर अतिरिक्त प्रभार (डेरिक प्रभार) लगाने के संबंध में मामला सं. एमएफ/सीएचपीटी/55/97-टीएएमपी में इस प्राधिकरण ने 11 मार्च, 1999 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग-III, खंड 4) में गजट संख्या 15 के रूप में दिनांक 11 मार्च, 1999 को प्रकाशित किया गया था।

2. इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सीएचपीटी अभी भी अधिक प्रभार वसूल कर रहा है, जबकि क्रेन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसे किसी अन्य पक्ष ने किराए पर लिया हुआ है । पहले आदेश पारित करते हुए इस प्राधिकरण का यह आशय था कि किसी पक्ष को फलोटिंग क्रेन के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जब यह किसी भी कारण से किराए पर उपलब्ध नहीं है । संभवतः, पहले वाले आदेश की शब्दावली से कुछ अस्पष्टता की संभावना पैदा हो गई है । इसलिए, प्राधिकरण को यह आवश्यक लगा कि स्थिति को स्पष्ट करने और अस्पष्टता को दूर करने के लिए यह पूरक आदेश पारित किया जाए ।

3. तदनुसार, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सीएचपीटी के मान दरों की पुस्तिका I में अध्याय III के मान 'ग' के नीचे टिप्पणी की मद सं.(VIII) के अंतर्गत उप खंड (ख) को हटाया जाता है और निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"(ख) ऐसे मामलों में जहां 20 टन से अधिक भार वाले पैकेजों को उतारने अथवा पोत में लदान के लिए भारी लिफ्ट क्रेनों की मांग की गई हो, परंतु अनुरक्षण, मरम्मत, अन्य पक्ष द्वारा किराए पर लिये जाने के कारण अनुपलब्धता जैसे कारणों से पत्तन द्वारा उपलब्ध कराया जाना संभव न हो और जब भारी लिफ्टों को पोत के अपने डेरिकों द्वारा प्रयोग के लिए आवश्यक रूप से उतारा जाना या लादा जाना हो, इसे पत्तन के मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।"

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन-3/4/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 1999

No. MF/CHPT/55/97-TAMP.—The Authority had passed an Order on 11 March, 1999, in case No. MF/CHPT/55/97-TAMP, relating to levy of additional charges (derrick charges) imposed on packages weighing above 20 tonnes by the Chennai Port Trust (CHPT). This was published in the Gazette of India, Extraordinary (Part III, Section 4) as Gazette No. 15 on 11 March, 1999.

2. Some representations have been received that the CHPT still levies hire charges even when the crane is not available because of being hired by another party. While passing the earlier order it was the intention of the Authority that a party shall not be required to pay for the floating crane when it is not available for hire at all for any reason. Possibly, the wording in the earlier order has lent scope for some ambiguity. The Authority has, therefore, found it necessary to pass this supplementary order to clarify the position and remove the ambiguity.

3. Accordingly, in partial modifications of the said order, the sub-section (b) under item No. (viii) of the note under Scale 'C' of Chapter III in Book I of the CHPT Scale of Rates is deleted and substituted by the following:

"(b). In cases where the heavy lift cranes though requisitioned for landing or shipment of package weighing above 20 tonnes but could not be spared by the Trust for reasons like maintenance, overhaul, repairs, non-availability of the crane because of being hired by another party, etc., as certified by the Trust's Chief Mechanical Engineer and when the heavy lifts have to be landed or shipped necessarily by the use of the ship's own derricks."

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT -III/IV/Exty./143/99]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.